स्पाइसेस बोर्ड
भारत

# स्पाइसेस बोर्ड

**19 फरवरी 2015**

को

संपन्न

**79 वीं बैठक**

का

# कार्यवृत्त

**"सुगंध भवन "**
**पालारिवट्टम**
**कोच्चिन - 682 025**

# स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची में 19 फरवरी 2015 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 79 वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड की 79 वीं बैठक स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची में 19 फरवरी 2015 को अपराह्न 2.30 बजे संपन्न हुई। डॉ.ए.जयतिलक आई ए एस, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1) श्री भास्कर शाह, उपाध्यक्ष
2) श्री बी.एस. येद्यूरप्पा, आदरणीय सांसद
3) डॉ. एम. आनंदराज, निदेशक, आई आई एस आर
4) श्री जोजो जॉर्ज
5) श्री के. ज़िया-उद-दिन-अहमद
6) श्री ई.के.वासु
7) एड्वोकेट ई.एम. अगस्ती
8) श्री आन्जो जोस
9) श्री लूथर एम.सी., निदेशक, वित्त प्रभाग का प्रभारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली
10) श्री एन.सी.साहा, निदेशक, आई आई पी
11) श्री बी.एम. मुनिराजू
12) श्री मानसिंह परसौदा
13) श्री एम.एम. माधव नायडु, निदेशक, [सी एफ टी आर आई] का प्रतिनिधि
14) डॉ. विजु जेकब
15) श्री रवेला गोपाला कृष्णा
16) श्रीमती अनिता कारणवर

निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की गई :

1. श्री एस.तंगवेलु, आदरणीय सांसद (राज्य सभा)
2. श्री प्रताप सिन्हा, आदरणीय सांसद
3. डॉ. हतोबिन माई
4. श्री संजीव चोपड़ा, संयुक्त सचिव व मिशन निदेशक (एन एच एम) कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय
5. श्री अजित तोमस
6. श्रीमती विजयलक्ष्मी

7. डॉ. मात्यू सामुवेल कलरिक्कल
8. प्रभारी निदेशक ,निर्यात संवर्धन (कृषि प्रभाग) , वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
9. श्री कुमारलाल एम.तहिलियानी , पार्टनर, मेसर्स एशियन फूड इंडस्ट्रीस, गुजरात
10. श्री डी.वी.आर. राजीव मोहन, मेसर्स आई टी सी लिमिटेड, कोलकत्ता
11. निदेशक(आई ई), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
12. श्रीमती वी.उषा रानी आई ए एस, सचिव (बागवानी), आन्ध्रप्रदेश सरकार, हैदराबाद
13. प्रधान सचिव(बागवानी), उत्तरप्रदेश सरकार, लखनऊ
14. सचिव (बागवानी), सिक्किम सरकार, गान्तोक

बोर्ड के निम्न लिखित अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री पी.एम. सुरेषकुमार, सचिव
2. श्री एस. कण्णन, निदेशक(विपणन)
3. श्री एस.सिद्दरामप्पा, निदेशक(विकास)
4. सीए के.सी. बाबु, निदेशक (वित्त)

सर्वप्रथम, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बोर्ड-बैठक में सभी सदस्यों का, विशेषकर आदरणीय सांसद श्री बी.एस. येद्यूरप्पा और श्री लूथर एम.सी., जो बोर्ड-बैठक में पहली बार भाग ले रहे हैं, का स्वागत किया ।

**मद सं. 1: 25 अक्तूबर 2014 को इटानगर में सम्पन्न स्पाइसेस बोर्ड की 78वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

पुष्टि की गई।

**मद सं. 2: 25 अक्तूबर 2014 को सम्पन्न 78वीं बोर्ड-बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट**

सचिव ने पिछली बोर्ड-बैठक में विभिन्न विषयों पर लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई के बारे में सदस्यों को संक्षेप में बताया और बोर्ड ने उसे नोट किया। लेकिन सदस्यों ने निम्नलिखित बातों पर चर्चा की और निर्णय लिए गए :

चूंकि, केवल केरल सरकार ने ही एम आई डी एच/आर के वी आई के तहत स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एकीकृत मसाला विकास परियोजना का समर्थन नहीं किया था, केरल के बोर्ड-सदस्यों ने केरल सरकार द्वारा विचार हेतु इस मामले को उठाने का दोबारा अनुरोध

किया।

विपणि विकास समिति के दो रिक्त स्थानों को भरने के बारे में विचार किया गया । सचिव ने सूचित किया कि विपणि विकास समिति की दो रिक्तियाँ आस्थगित की गईं हैं, चूंकि शर्त(घ) के अधीन नियुक्त सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे, या सदस्यों को अन्य समितियों में पहले ही नामित किया जा चुका था। इसलिए दो पात्र सदस्य, श्री मानसिंह परसौदा और डॉ.विजू जेकब को , जो बैठक में उपस्थित थे, विपणि विकास समिति के सदस्यों के रूप में प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मति से चुन लिया गया। अध्यक्ष महोदय ने, विपणि विकास समिति के सदस्यों के रूप में श्री मानसिंह परसौदा और डॉ.विजू जेकब का स्वागत किया।

**मद सं.3: इलायची (छोटी) कृषकों केलिए पुरस्कार 2014-15 हेतु योजना**

वर्ष 2014-15 केलिए इलायची(छोटी) के कृषकों केलिए पुरस्कार हेतु नामांकनों और उत्पादकता के ब्यौरे पर विचार किए गए और एक प्रथम पुरस्कार और एक द्वितीय पुरस्कार और तीन योग्यता प्रमाणपत्र अनुमोदित किए गए।

**मद सं. 4: इलायची (बडी) कृषकों केलिए पुरस्कार 2014-15 हेतु योजना**

वर्ष 2014-15 केलिए इलायची(बड़ी) के कृषकों को पुरस्कार हेतु नामांकनों एवं उत्पादकता के विवरण पर विचार किए गए। अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्राप्त उत्पादकता और उसके निष्पादन पर विचार करते हुए बोर्ड ने वर्ष 2014-15 केलिए एक प्रथम पुरस्कार, दो द्वितीय पुरस्कार और दो योग्यता प्रमाणपत्र सहित एक अतिरिक्त द्वितीय पुरस्कार अनुमोदित किए गए। सदस्यों ने भी आवेदन आमंत्रित करने हेतु कृषकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध बोर्ड से किया।

कदरदानी के तहत बोर्ड को धन्यवाद देते हुए एडवोकेट ई.एम.अगस्ती ने बताया कि इलायची कृषकों को दिए जानेवाले नकद पुरस्कार बहुत कम हैं और उसे बढ़ाने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया कि वर्ष 2015-16 से लेकर पुरस्कार की राशि में वृद्धि लाने का प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भेज दिया जाएगा। चूंकि वर्ष 2014-15 की अवधि केलिए पुरस्कार पर अंतिम निर्णय लिया गया है, इस वर्ष पात्र राशि प्रदान की जाएगी।

**मद सं.5: 25-26, अक्तूबर के दौरान इटानगर, अरुणाचल प्रदेश में मसालों पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार**

नोट किया गया। एडवोकेट ई.एम.अगस्ती ने इटानगर में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में की गई व्यवस्था की सराहना की और बोर्ड को धन्यवाद अदा किया। अध्यक्ष महोदय ने भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों का व्यक्तिगत रूप से आदर-सम्मान किया, जो बहुत ही समयोचित रहा।

**मद सं.6 :- नई दिल्ली में 27 जनवरी 2015 को सम्पन्न मसालों के विकास एवं निर्यात पर राष्ट्रीय सम्मेलन**

दिल्ली में आयोजित 'मसालों के विकास एवं निर्यात पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का एक संक्षिप्त विवरण सदस्यों को दिया गया। बोर्ड ने राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन नोट किया। इसके स्पोनसरिंग हेतु वाणिज्य विभाग को धन्यवाद देने के दौरान, इस संबंध में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा किया गए प्रयासों की प्रशंसा की गई। सम्मेलन के दौरान विकसित "रोड मैप " का व्याख्यान देते हुए अध्यक्ष महोदय ने एकीकृत मसाला विकास परियोजना (आर के वी वाई) के पी पी पी प्रकार के अधीन निर्यात लायक गुणवत्तावाले मसालों के उत्पादन और एकीकृत मूल्य शृंखला विकास पर नई परियोजना पर प्रकाश डाला और निर्यातकों / व्यापारिक संघों से अनुरोध किया कि इस योजना से लाभ उठाने हेतु उनके बीच परिचालित मसौदा परियोजना के अनुसार प्रस्ताव भेजें। योजना के अधीन "बाई-बैक" व्यवस्था के ज़रिए कृषकों को प्रीमियम मूल्य मिलने की प्रतीक्षा की जाती है। उन्होंने आगे बताया कि सभी इमदादें सम्मिलित हैं और किसानों को सीधे दी जाती हैं, ताकि खर्च में पर्याप्त कमी लायी जा सके ।

**मद सं.7 : बोर्ड के कार्यालय जिन राज्यों में नहीं हैं, वहाँ बोर्ड के कार्यालय खोलना और अरुणाचल एवं अन्य राज्यों में बोर्ड के कार्यालयों को मजबूत बनाना**

स्पाइसेस बोर्ड के नए खोले गए कार्यालयों का विवरण नोट किया गया। फिर भी अध्यक्ष महोदय ने श्री बी.एम. येद्यूरप्पा, आदरणीय सांसद की जानकारी केलिए श्री एस. सिद्दरामप्पा, निदेशक (विकास) को कर्नाटक के कार्यालयों का विवरण देने को कहा। तदनुसार, निदेशक (विकास) ने स्पाइसेस बोर्ड के विपणन, विकास एवं अनुसंधान स्कंधों के अधीन प्रवृत्त विभिन्न कार्यालयों के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया। केरल के कार्यालयों को मजबूत बनाने संबंधी एक सवाल का अध्यक्ष महोदय ने यह जवाब दिया कि बोर्ड केरल एवं देश के अन्य हरेक राज्य के कार्यालयों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है।

**मद सं.8: वर्ष 2015-16 केलिए बजट प्रस्ताव**

बोर्ड ने वर्ष 2015-16 केलिए प्रस्तावित बजट-आकलन का अनुमोदन किया। अध्यक्ष महोदय ने 2015-16 केलिए प्रस्तावित उच्च आबंटन का कारण स्पाइसेस बोर्ड को बारहवीं प्लान योजना आबंटन के आरंभिक तीन सालों में वार्षिक आबंटन की तुलना में कम निधि का

मोचन बताया।

अध्यक्ष महोदय ने निदेशक (वित्त) से स्पाइसेस बोर्ड केलिए उच्चतर परिव्यय पर विचार करने हेतु अनुरोध किया। अनुरोध की प्रतिक्रिया में श्री लूथर ने मंत्रालय में निधियों की स्थिति और उच्चतर आबंटन की कठिनाइयों के बारे में स्पष्ट किया। उन्होंने आगे बताया कि ए एस आई डी ई योजना केलिए केंद्रीय घटक दुर्लभ है । एडवोकेट ई.एम. अगस्ती ने सूचित किया कि अनुसंधान केलिए नियत परिव्यय बहुत कम है और निर्यातोन्मुख अनुसंधान केलिए अतिरिक्त आबंटन हेतु अनुरोध किया। इस सिलसिले में, अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि अनुसंधान पर बोर्ड का अधिदेश केवल इलायची पर है और मैलाडुंपारा, सकलेशपुर, तड़ियनकुड़िश्शी एवं तादोंग स्थित भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मिलकर करते हैं और इसलिए निर्यातोन्मुख अनुसंधान का परिव्यय कम है। अन्य मसलों पर अनुसंधान कार्य केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ज़िम्मेदारी है और आई सी ए  आर द्वारा इसकी देखभाल की जाती है।

**मद सं.9: गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड द्वाया विश्लेषित परेषणों की स्थिति**

मसाला उद्योग में कार्यरत तकनीकी कार्मिकों केलिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ 11 सितंबर 2014 से 5 फरवरी 2015 तक की अवधि के दौरान स्पाइसेस बोर्ड की विविध प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषित परेषण नमूनों का विवरण दिया गया।बोर्ड ने स्थिति नोट की।

**मद सं.10: आई सी आर आई , मैलाडुम्पारा में मीटियोरॉलोजिकल प्रोफाइलर**

डॉ.वाई.एस.राव ने विविध फसलों के संबंध में पूर्वसूचना बहुत पहले ही देने में विभिन्न फसल प्रक्रियाओं (उपज, नाशकजीवों व रोगों का प्रकोप) के यथातथ्य मॉडलिंग के बारे में समझाया। ये पूर्वसूचनाएँ वैज्ञानिकों को बेहद वैज्ञानिक तरीके से फसल परामर्श देने में मददगार होंगी। आगे उन्होंने बाहरी निधीयन की नोडल एजेंसी के रूप में सभी पण्य बोर्डों के अनुसंधान विभागों, सीमैप (लखनऊ), आई एच बी टी (हिमाचल प्रदेश) को सी एस आई आर के साथ जोड़कर एक बहुसांस्थानिक नेटवर्क परियोजना प्रस्तुत करने संबंधी निर्णय के बारे में बताया । डॉ.एम.आनंदराज ने भी स्पष्ट किया कि पूर्वसूचना 85 से 95 % तक यथार्थ है। श्री लूथर ने कॉफी, बसमती की मौसम पूर्वसूचना हेतु अंतरिक्ष तकनोलजी का उपयोग स्पष्ट किया और बताया कि इसमें मसालों को शामिल नहीं किया गया है। अध्यक्ष ,स्पाइसेस बोर्ड कवरेज केलिए मसालों को भी शामिल करने हेतु इस संबंध में सी एस आई आर एक प्रस्ताव भेजने को सहमत हो गए।

**मद सं. 11: सी सी एस सी एच का दूसरा सत्र**

सितंबर 2015 के दौरान कोडेक्स समिति के द्वितीय सत्र का आयोजन नोट किया गया ।

**मद सं.12: स्थापित/स्थापनाधीन मसाला पार्क की स्थिति**

पहले ही स्थापित किए जा चुके और पूरा हो रहे मसाला पार्क तथा नए प्रस्ताव के बारे में सदस्यों की जानकारी केलिए विस्तार से बताया गया।

श्री बी.एस.यद्यूरप्पा, आदरणीय सांसद ने बोर्ड से मसाला पार्क की स्थापना केलिए अपेक्षित ज़मीन का विवरण और हावेरी में मसाला पार्क की स्थापना केलिए कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत किए प्रस्ताव की स्थिति का विवरण इस संबंध में विचार करने हेतु प्रदान करने का अनुरोध किया। तदनुसार उप निदेशक (विपणन) ने प्रस्ताव एवं पत्र व्यवहार की संगत प्रतियाँ उपलब्ध कराई हैं।

मसाला पार्क के चालू होने के संबंध में उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर बतौर यह बताया गया कि मसाला पार्कों में स्थापित सुविधाएँ छः महीनों के ट्राइल-रन के बाद एक पारदर्शी प्रणाली के ज़रिए एजेंसियों / फार्मों को पट्टे पर दी जाएंगी और किसानों , व्यापारियों एवं निर्यातकों को इस प्रयोजनार्थ निर्धारित उपयोक्ता-शुल्क चुकाने पर अपना उत्पाद साफ एवं प्रसंस्करित करने की अनुमति दी जाती है।

**मद सं.13: गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना की स्थिति**

बोर्ड ने कोलकोत्ता, कांडला एवं मुम्बई में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना की स्थिति नोट की।

**मद सं. 14 : मसाले निर्यातक उद्यमियों की सुविधा की स्थापना**

बोर्ड ने आई आई पी एम, बैंगलूर में केंद्र स्थापित करने हेतु जानकारी बांटने वाले साझेदार के रूप में अपनी भूमिका और जी+3 बिल्डिंग पूरा करने केलिए टेंडर प्रक्रिया की स्थिति नोट की। केंद्र की प्रारंभिक सुविधाओं के बारे में भी सदस्यों की जानकारी केलिए संक्षेप में बताया गया। श्री बी .एस. यद्यूरप्पा, आदरणीय सांसद ने प्रस्तावित केंद्र की सुविधा और बोर्ड के कार्यक्रमों के बारे में किसानों एवं निर्यातकों के बीच पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने का बोर्ड से अनुरोध किया। निदेशक (विकास) ने कर्नाटक केलिए प्रस्तावित एम आई डी एच प्रस्तावों की स्थिति के बारे में स्पष्ट किया।

**मद सं.15: भारत से मसालों का निर्यात**

बोर्ड ने पिछले साल की समान अवधि की तुलना में मात्रा में 8% और रुपए के हिसाब से 10% और डॉलर के हिसाब से 7% के साथ अप्रैल-दिसंबर 2014 के दौरान मसालों के

मदवार आकलित निर्यात और मसालों के निर्यात में हुई वृद्धि नोट की।

**मद सं.16: वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 केलिए निर्यातक पुरस्कार**

बोर्ड ने वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 केलिए मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता केलिए पुरस्कार हेतु आवेदन के ऑन-लाइन फाइलिंग का प्रावधान नोट किया।

**मद सं.17: मसाला भवन प्रमाणन**

जल्दी अनुमोदन और अधिसूचना हेतु वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के साथ अनुवर्ती कार्य करने का अनुरोध बोर्ड से किया गया।

**मद सं.18: खंड अवधि 2014-17 केलिए नए नीलामकर्त्ता लाइसेन्स प्रदान करना**

बोर्ड ने पुट्टडी एवं बोडिनायकन्नूर में इ-नीलाम, छोटी इलायची केलिए पाँच मैनुअल नीलाम और बड़ी इलायची केलिए दो मैनुअल नीलाम चलाने केलिए 12 कंपनियों को प्रदत्त नीलामकर्त्ता लाइसेन्स के विवरण और संशोधित विनियम के अनुसार अपनाई गई प्रक्रिया नोट की। श्री जोजो जॉर्ज ने यह जानना चाहा कि क्या नीलामकर्त्ताओं के उपयोक्ता-शुल्क की पुनरीक्षा करते हुए उसे कम करने की कोई संभावना है? अध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया कि यह थोड़ा जल्दी हो गया है, चूंकि यह नई प्रणाली फिलहाल लागू हो गई है, श्री जोजो जोज के प्रस्ताव की पुनरीक्षा एक साल बाद की जाएगी।

**मद सं.19: इलायची केलिए न्यूनतम आयात मूल्य नियत करना**

निदेशक (विपणन) ने निम्न श्रेणी की इलायची और अवमूल्यन से बचने केलिए इलायची आयात हेतु इलायची के न्यूनतम आयात मूल्य और इलायची के आयात हेतु अन्य शर्तें लगाने से संबंधित अद्यतन अधिसूचना के बारे में  संक्षेप में बताया। सदस्यों ने इस संबंध में की गई कार्रवाई की सराहना की और भारत में इलायची की तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाने केलिए बोर्ड से अनुरोध भी किया।

**मद सं. 20: परियोजना "इ-चिल्ली बाज़ार; आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के मिर्च कृषकों केलिए बेहतर बाजार और मूल्य प्राप्ति हेतु इ-कॉमर्स फ्लैटफ़ॉर्म**

बोर्ड ने मिर्च कृषकों केलिए बेहतर बाज़ार और मूल्य प्राप्ति हेतु इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्पाइसेस बोर्ड द्वारा निधिबद्ध इ-चिल्ली बाज़ार परियोजना का विवरण और उसका अनुमोदन नोट किया। सदस्यों ने मिर्च कृषकों केलिए ऐसी सीधी विपणन सेवा स्थापित करने में बोर्ड के प्रयासों की सराहना की।

**अतिरिक्त मदें**

**मद सं.21: किन्फ्रा को वित्तीय समर्थन**

छोटे एवं मध्यम वर्ग के किसानों/निर्यातकों को लाभ मिलने पर विचार करते हुए बोर्ड ने कोच्ची एवं कालीकट में विश्व स्तरीय कन्वेन्शन व एक्सिबिशन सेंटर स्थापित करने हेतु 12.5 लाख रुपए का एकमुश्त अंशदान प्रदान करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया। इस अंशदान केलिए मेसर्स किन्फ्रा बोर्ड के वित्तीय समर्थन के समतुल्य ईक्विटी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता है। चूंकि स्पाइसेस बोर्ड भारत सरकार का स्वायत्त निकाय है, मेसर्स एफ एस टी एल, जो स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रोन्नत कंपनी है, के नाम पर ईक्विटी उपलब्ध कराने का किन्फ्रा के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया ।

**मद सं.22: मसालों के घरेलू विपणन हेतु प्रस्ताव**

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बढ़ाए जानेवाले मसालों के घरेलू विपणन की कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया गया। किसानों के समर्थन एवं उनकी फसलों को उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित करने हेतु स्पाइसेस बोर्ड द्वारा हस्तक्षेप पर विचार किया गया। चूंकि इलायची को छोड़कर मसालों के घरेलू विपणन केलिए बोर्ड का कोई अधिदेश नहीं है, चुने हुए मसालों केलिए परीक्षण आधार पर, खासकर उनकी चरम कटाई-अवधि के दौरान स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रोन्नत कंपनी एफ एस टी एल के ज़रिए अपेक्षित विपणी हस्तक्षेप का सुझाव दिया गया। तदनुसार प्राप्ति-खर्च और कार्यशील-पूंजी की अपेक्षा की पूर्ति हेतु एफ एस टी एल के ज़रिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बढाए जाने वाले प्रमुख मसाले प्राप्त करने और संभाव्य विपदग्रस्त बिक्री से बचने हेतु किसानों को अपने उत्पाद केलिए बेहतर मूल्य के आश्वासन का प्रभाव पैदा करने केलिए बोर्ड को 5.00 करोड़ रुपयों की एक बारगी सहायता केलिए सरकार से निवेदन करने का निर्णय लिया गया। आवश्यकता की परख करने के बाद और एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करने हेतु, बोर्ड ने चुने हुए मसालों पर मेसर्स एफ एस टी एल द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विपणी-हस्तक्षेप केलिए 5.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव अनुमोदित किया।

**मद सं.23: स्पाइसेस बोर्ड के कार्यालय का पुन:गठन**

अधिकाधिक अधिकार, व्यावहारिक लचीलापन एवं क्षेत्र के सभी पणधारियों को सुपुर्दगी सेवाओं के साथ प्रवृत्त होने केलिए बोर्ड के कार्यालयों के पुन:गठित करते हुए 11 क्षेत्रीय

केन्द्रों की स्थापना बोर्ड ने नोट की ।

**मद सं: 24: गुना, मध्यप्रदेश में धनिया फसल**

श्री मानसिंह परसौदा ने मध्यप्रदेश के गुना जिले में धनिया की खेती में होने वाली कठिनाइयाँ प्रस्तुत कीं और बीज उपचार , उर्वरकों के उचित उपयोग आदि के बारे में किसानों को प्रशिक्षण, अन्य मसाले बढ़ाने वाले क्षेत्रों का एक्सपोशर दौरा आदि केलिए सहायता का अनुरोध किया।

निदेशक(विकास) ने रोपण सामग्रियों की आपूर्ति सहित विविध घटकों को शामिल करते हुए एम आई डी एच के अधीन मध्यप्रदेश सरकार को प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के बारे में स्पष्ट किया और आश्वासन दिया कि धनिया कृषकों की समस्याओं का उचित समाधान किया जाएगा।

**अन्य चर्चाएं**

सदस्यों द्वारा अवलोकन / उठाए प्रश्नों के अनुसार अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने निम्न लिखित बातों को स्पष्ट किया :

1. मसाला पार्क, गुंटूर के उद्घाटन के बारे में यह सूचित किया गया कि व्यापारी लोग , किसान, निर्यातक एवं मीडिया सब गुंटूर मसाला पार्क का उद्घाटन जल्दी चाहते हैं। तदनुसार, स्पाइसेस बोर्ड ने माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार एवं आदरणीय मुख्यमंत्री से मसाला पार्क के उद्घाटन केलिए उनकी सुविधा के अनुसार एक तिथि सुझाने का अनुरोध किया है। तिथि की पुष्टि की प्राप्ति पर आगे की अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

2. अतिरिक्त कार्यालयों/स्टाफ अपेक्षाओं के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि बोर्ड के पास पूरे देश की सेवा केलिए सीमित मानव शक्ति है और वर्तमान कार्यालयों को अंतरित करते हुए नए कार्यालयों का खोलना आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगा। अत: इन अपेक्षाओं पर भविष्य के कार्यों के लिए विचार किया जाएगा।

3. श्री रवेला गोपालकृष्णा ने किसानों के नमूनों की जांच मुफ्त में करने का अनुरोध बोर्ड से किया। अध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया कि बोर्ड पहले से ही 90% इमदाद देता आ रहा है और शेष केवल 10% शुल्क ही लेता है, जो बहुत ही नगण्य है और गंभीरता सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित है।

4. डॉ.माधव नायडू ने सूचना दी कि चामराजनगर में पंजीकृत किसानों के रूप में 19 सदस्यों वाला एक संघ है, जो उच्च करक्यूमिन घटक (4% से अधिक) वाली हल्दी बढ़ाता है और खेती के कार्यों को बढ़ावा देने हेतु समर्थन केलिए अनुरोध किया। इसकी

प्रतिक्रिया में अध्यक्ष महोदय ने उनसे इसकी जांच करने को कहा कि क्या वह सहकारी सोसाइटी है या धर्मस्व सोसाइटी ? चूंकि करक्यूमिन घटक (4% से ज्यादा ) है, अध्यक्ष महोदय ने डॉ.विजू जेकब से इस मद को प्राप्त करने की संभावना ढूंढ निकालने का अनुरोध किया।

5. श्री लूथर ने राय व्यक्त की कि चूंकि सरकार ने भारी रकम का निवेश किया है, बोर्ड के सभी मसाला पार्क प्रवृत्त होने चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय पूंजीगत खर्च की पूर्ति केलिए एक बार का अनुदान देता है, पार्क के प्रवर्त्तन केलिए निधीयन की अपेक्षा है, जो उपयोक्ता शुल्क के ज़रिए संकलित करने की प्रतीक्षा की जाती है और जिसको पार्क में समस्त प्रसंस्करण/पैकिंग सुविधाओं के माननीकरण के उपरांत ही संभव होगा। जहां कहीं अच्छे ऑपरेटर उपलब्ध हैं, पार्क निर्बाध चालू है। चूंकि कुछ पार्क सुदूर स्थानों में स्थापित हैं, निर्यातक प्लांट को ऑपरेट करने आगे आते नहीं हैं। काफी सोच-विचार के पश्चात और समय बरबाद किए बिना मसाला पार्कों को प्रवृत्त करने की ज़रूरत के मुताबिक, बोर्ड ने पार्क में स्थापित सुविधाओं को चालू करने और मानकीकृत करने हेतु प्रारम्भिक अवधि केलिए चालन -खर्च उपलब्ध कराते हुए प्लांट चलाने को पाइलेट ऑपरेटरों को पेरमिट देने का निर्णय लिया। तदनुसार बोर्ड ने जहां कहाँ ऑपरेटरों को मिलना मुश्किल है, स्पाइसेस पार्क में स्थापित प्लांटों को चलाने हेतु पाइलेट ऑपरेटरों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने का अनुमोदन भी किया है।

6. शिवगंगा और रायबरेली में मसाला पार्क स्थापित करने के सवाल के जवाब में अध्यक्ष महोदय ने हमारे निर्यात निष्पादन में पुदीना एवं पुदीना उत्पाद और शिवगंगा में बढ़ाई जाने वाली मिर्च एवं हल्दी उत्पादों का महत्व स्पष्ट किया।

स्पाइसेस बोर्ड की तरफ से अध्यक्ष महोदय ने अपने हार्दिक और सक्रिय प्रतिभागिता केलिए धन्यवाद अदा किया। उन्होंने आगे बताया कि मसाला पार्क के उद्घाटन के साथ गुंटूर में अगली बोर्ड-बैठक आयोजित की जा सकती है।

---